

30 जनवरी, 2025 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित सीपज़-सेज़ के लिए अनुमोदन समिति की 195 वीं बैठक का कार्यवृत्त	MINUTES OF 195 th MEETING OF THE APPROVAL COMMITTEE FOR SEEPZ SEZ HELD UNDER THE CHAIRMANSHIP OF DEVELOPMENT COMMISSIONER ON 30 th January 2025
--	---

एसईजेड का नाम Name of the SEZ	सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ
बैठक संख्या Meeting No	195 वी 195 th
दिनांक Date	30.01.2025 30.01.2025

उपस्थित सदस्य:

Members Present:

क्र. S.N.	सदस्यों का नाम Name of Members	पद का नाम Designation	संगठन Organization
1	श्रीमती मितल एस. हिरेमठ Smt. Mital S. hiremath	संयुक्त विकास आयुक्त, Jt. Development Commissioner	सीपज़-सेज़ / SEEPZ-SEZ
2	श्री लीडर पणिकर Shri. Leider Panicker	संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner Income Tax	आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामिती / Nominee of Commissioner of Income Tax office, Mumbai
3	श्री हिमांशु धर पांडे Shri. Himanshu Dhar Pandey	उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामित / Nominee of the Additional DGFT, Mumbai
4	श्रीमती मीरा रामकृष्ण Smt. Meera Ramkrishan	सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क / Asstt. Commissioner of Customs	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार के नामिती / Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar
5	श्री जय मनोज शाह Shri Jay Manoj Shah	उप विकास आयुक्त, Dy. Development Commissioner, SEEPZ- SEZ तथा विनिर्दिष्ट अधिकारी / Specified Officer	सीपज़-सेज़/ SEEPZ-SEZ
6	श्री बालासाहेब बोराडे Shri Balasaheb Borade	विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	सीपज़-सेज़/ SEEPZ-SEZ

श्रीमती ब्रिजेट जो, ईए से डीसी (न्यू-सेज़) श्री जी एस भंडारी, एडीसी और श्री हनीश राठी, एडीसी ने बैठक में सहायता और सुचारू कामकाज के लिए भाग लिया	Smt. Bridget Joe, EA to DC (New-Sez) Shri. G.S. Bhandari, ADC and Shri Hanish Rathi, ADC attended for assistance and smooth functioning of the meeting.
--	---

कार्यसूची मद सं 01: 31.12.2024 को आयोजित 194 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि समिति ने सभी स्थगित प्रस्तावों को अगली बैठक में रखने का निर्देश दिया	Agenda Item No. 01: Confirmation of the Minutes of the 194th Meeting held on 31.12.2024. The committee directed to place all the deferred proposals in the next meeting.
--	---

कार्यसूची मद सं 02 : तीसरे पक्ष की मरम्मत के लिए मेसर्स लक्ज़री ज्वेलरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की अनुमति का प्रस्ताव

Agenda Item No. 02: Proposal of M/s. Luxury Jewellery (India) Private Limited regarding permission for Third Party Repair.

The unit had submitted application for permission for Third Party Repair with details as indicated below :

The anticipated volume per annum will be as under:

Description of items to be Repaired	Pcs to be Repaired	Approx Labour Charges (Rs. In Lacs)
Plain and Studded Gold/Silver/Platinum Jewelry Studded with Diamond/Precious and Semi Precious Stones.	5000 PCS	INR 41.00

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने मंत्रालय एवं उद्योग द्वारा जारी दिनांक 25.03.2010 के निर्देश संख्या 51 के अनुपालन की शर्त पर तृतीय पक्ष मरम्मत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

Decision: After deliberation, the committee approved the proposal for Third Party Repairs subject to compliance of Instruction No.51 dated 25.03.2010 issued by MoC & I.

कार्यसूची मद सं 03: वर्तमान ब्लॉक अर्थात 2024-25 के लिए मध्यावधि प्रक्षेपण हेतु मेसर्स गोल्ड स्टार ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रस्ताव।

Agenda Item No. 03: Proposal for M/s. Gold Star Jewellery Pvt Ltd for Mid Term revision in Projection for the Current Block i.e. 2024-25.

मेसर्स गोल्ड स्टार ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड ने वर्तमान ब्लॉक यानी 2024-25 के लिए प्रक्षेपण में मध्यावधि संशोधन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। विवरण इस प्रकार है:

M/s. Gold Star Jewellery Pvt. Ltd has submitted an application for Mid-term revision in projection for the Current Block i.e. 2024-25. The details are as under :

वर्तमान ब्लॉक अर्थात 2024-25 के लिए अनुमानों के मध्यावधि संशोधन का विवरण।

The Details of the mid-term revision of projections for the current block i.e. 2024-25.

Projections :

(Rs. In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Existing Approved Projections for Five Year i.e. 2020-21 to 2024-25 (1US\$ = Rs. 72.00)	Existing Approved mid-term Projections for 1 year i.e. to 2024-25 (1US\$ = Rs. 82.00)	Proposed mid-term Revised Projections for current block i.e. 2024-25 (1US\$ = Rs. 83.00)	
		Rs. In Lakhs	Rs. In Lakhs	Rs. In Lakhs	(US\$'000')
1	FOB Value of exports in first five years	236900.00	90000.00	142500.00	171686.75
	Foreign Exchange outgo on	-	-	-	-
2	Import of Machinery	1983.02	534.82	150.00	180.72
3	Import of Raw Material and Components	185693.10	72000.00	126825.00	152801.20

4	Unused/used, new, broken jewellery for repair/Third Party Repair, Remaking and rementing and other inputs etc.	10520.00	1800.00	2137.50	2575.30
5	Import of spares and consumables	10978.50	5400.00	213.75	257.53
6	Repatriation of dividends and profits to foreign collaborators	-	-	-	-
7	Royalty	-	-	-	-
8	Lump sum know-how fee	-	-	-	-
9	Design and drawings fee	-	-	-	-
10	Payment of foreign technicians	-	-	-	-
11	Payment on training of Indian technicians abroad	-	-	-	-
12	Commission on Export etc.	2728.50	900.00	1425.00	1716.87
13	Foreign Travel	960.00	300.00	600.00	722.89
14	Amount of Interest to be paid on external commercial borrowing/deferred payment credit (specify details)	-	-	-	-
15	Any other payments (specify details)	-	-	-	-
16	Total (2 to 15)	212863.12	80934.82	131351.25	158254.52
17	Net Foreign Exchange Earnings in five years (1 to 16)	24036.88	9065.18	11148.75	13432.23

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 19 (2) के संदर्भ में वर्तमान ब्लॉक यानी 2024-25 के लिए प्रक्षेपण में मध्यावधि संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

Decision : After deliberation, the Committee approved the proposal for mid-term revision in projection for the current Block i.e. 2024-25 in terms of Rule 19 (2) of the SEZ Rules 2006.

कार्यसूची मद सं 4: मेसर्स पोर्टस्केप इंडिया प्रा. लिमिटेड, यूनिट नंबर 4, एसडीएफ-1, सीपज़-सेज शेयरों के हस्तांतरण और निदेशक पद में परिवर्तन के अनुसार शेयरधारिता में परिवर्तन का प्रस्ताव.

Agenda Item No. 4 : Proposal of M/s. Portescap India Pvt. Ltd, Unit No.4, SDF-I, SEEPZ-SEZ for Change in Shareholding pursuant to the transfer of shares and change in Directorship

Prior to the share transfer:-

Sr. No.	Name of the Shareholder	No. of Shares	% of Shareholding
1	Portescap Singapore Pte Limited (Singapore)	1,22,79,243	99.999%
2	AS Motion Asiapac Holding Limited (as a nominee of Portescap Singapore Pte Limited)	100	0.001%
	Total	1,22,79,343	100%

Pursuant to the share transfer:-

Sr. No.	Name of the Shareholder	No. of Shares	% of Shareholding
1	Marathon Electric India Private Limited	24,43,589	19.900
2	Portescap Singapore Pte Limited (Singapore)	98,35,654	80.099
3	AS Motion Asiapac Holding Limited (as a nominee of Portescap Singapore Pte Limited)	100	0.001%
	Total	1,22,79,343	100%

LIST OF PRE-POST DIRECTORS:**Pre Directors:**

Sr. No.	Particular of change	Name of Director	Date of resignation
1	Resignation of Director	Mr. Dipeshwar Singh	18.10.2024
2	Resignation of Director	Mr. Thomas Hill	18.10.2024

Updated List of directors:

Sr. No.	Name of Director	Designation	DIN
1	Mr. Rishi Hari Bhatnagar	Whole time Director	02261444
2	Mr. Sanjay Kachroo	Whole time Director	10314467
3	Mr. Sarah Apple	Director	10245638
4	Mr. Arvind Pasricha	Director	09606639

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 एवं उक्त निर्देश की शर्तों के अनुपालन के अधीन के अनुसार पोर्टेस्कैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप शेयरधारिता में परिवर्तन और निदेशक पद में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

Decision : After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit for change in shareholding pursuant to the transfer of shares of Portescap India Private Limited and change in the Directorship in term of MOC&I Instruction no. 109 dated 18.10.2021 and subject to compliance of the conditions of the said Instruction.

कार्यसूची मद सं 5: मेसर्स पोर्टेस्कैप इंडिया प्रा. लिमिटेड, यूनिट नंबर 601 और 602, टावर-II, सीपज़ ++, सीपज़-सेज शेयरों के हस्तांतरण और निदेशक पद में परिवर्तन के अनुसार शेयरधारिता में परिवर्तन का प्रस्ताव.

Agenda Item No. 5 : Proposal of M/s. Portescap India Pvt. Ltd, Unit No.601 & 602, Tower-II, SEEPZ++, SEEPZ-SEZ for Change in Shareholding pursuant to the transfer of shares and change in Directorship

Prior to the share transfer:-

Sr. No.	Name of the Shareholder	No. of Shares	% of Shareholding
1	Portescap Singapore Pte Limited (Singapore)	1,22,79,243	99.999%
2	AS Motion Asiapac Holding Limited (as a nominee of Portescap Singapore Pte Limited)	100	0.001%
	Total	1,22,79,343	100%

Pursuant to the share transfer:-

Sr. No.	Name of the Shareholder	No. of Shares	% of Shareholding
1	Marathon Electric India Private Limited	24,43,589	19.900
2	Portescap Singapore Pte Limited (Singapore)	98,35,654	80.099
3	AS Motion Asiapac Holding Limited (as a nominee of Portescap Singapore Pte Limited)	100	0.001%
	Total	1,22,79,343	100%

LIST OF PRE-POST DIRECTORS:**Pre Directors:**

Sr. No.	Particular of change	Name of Director	Date of resignation
1	Resignation of Director	Mr. Dipeshwar Singh	18.10.2024
2	Resignation of Director	Mr. Thomas Hill	18.10.2024

Updated List of directors:

Sr. No.	Name of Director	Designation	DIN
1	Mr. Rishi Hari Bhatnagar	Whole time Director	02261444
2	Mr. Sanjay Kachroo	Whole time Director	10314467
3	Mr. Sarah Apple	Director	10245638
4	Mr. Arvind Pasricha	Director	09606639

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 एवं उक्त निर्देश की शर्तों के अनुपालन के अध्यक्षीन के अनुसार पोर्टेस्कैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप शेयरधारिता में परिवर्तन और निदेशक पद में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

Decision : After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit for change in shareholding pursuant to the transfer of shares of M/s. Portescap India Private Limited and change in Directorship in term of MOC&I Instruction no. 109 dated 18.10.2021 and subject to compliance of the conditions of the said Instruction.

कार्यसूची मद सं 6: मेसर्स डीआईएन ट्रेडिंग एंड मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी का नाम बदलने का प्रस्ताव।

Agenda Item No. 6 : Proposal for change of name of the Company of M/s. DIN Trading & Manufacturing Pvt. Ltd.

मेसर्स डीआईएन ट्रेडिंग एंड मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने मेसर्स से कंपनी का नाम बदलने के लिए अपना आवेदन जमा किया है। डीआईएन ट्रेडिंग एंड मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित विवरण प्रदान करता है:-

M/s. DIN Trading & Manufacturing Pvt. Ltd has submitted their application for change of name of the company from M/s. DIN Trading & Manufacturing Pvt. Ltd along with relevant documents providing the following details :-

List of Directors before and after change of name:

Sr. No.	Name of Directors before change of name (M/s. DIN Trading & Manufacturing Pvt. Ltd)	Sr. No.	Name of Directors after change of name (M/s. Atelier Kiara Pvt. Ltd)
1.	Vikaram Hanumantha Bhat	1.	Vikaram Hanumantha Bhat
2.	Vinod More	2.	Rajendra Singh Rawat

List of Shareholding Pattern before and after change of name:

Before :

Sr. No.	Name of Shareholder	Type of Share/Debenture	Number of Shares/Debentures	Nominal Amount	% Age
1	Vikaram Hanumantha Bhat	Equity	999	99900	99.90
2	Vinod More	Equity	1	100	0.10
	Total	Equity	1000	100000	100.00

After:

Sr. No.	Name of Shareholder	Type of Share/Debenture	Number of Shares/Debentures	Nominal Amount	% Age
1	Vikaram Hanumantha Bhat	Equity	999	99900	99.90
2	Rajendra Singh Rawat	Equity	1	100	0.10
	Total	Equity	1000	100000	100.00

- There is change in Shareholding Pattern of pertaining to change in list of Directors.

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I निर्देश संख्या के अनुसार कंपनी के नाम में बदलाव के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 109 दिनांक 18.10.2021. इसके अलावा, समिति ने इकाई को निर्देश संख्या 109, दिनांक 18.10.2021 के अनुसार शर्तों का पालन करने का भी निर्देश दिया।

Decision : After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit for Change in Name of the Company in terms of MOC&I Instruction no. 109 dated 18.10.2021. Further, the Committee also directed the unit to comply with the conditions as per Instruction no. 109, dated 18.10.2021.

कार्यसूची मद सं 7: मेसर्स ज़ाइकस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को उनके अधिकृत संचालन के लिए आवश्यक सेवाओं की अतिरिक्त सूची के लिए का प्रस्ताव. इकाई ने अतिरिक्त सेवाओं के लिए अनुरोध किया है जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सेवाओं की डिफ़ॉल्ट सूची में शामिल नहीं हैं:

Agenda Item No. 7 : Proposal of M/s. Zycus Infotech Pvt. Ltd for Additional List of Services required for their Authorized Operations.

The unit requested for Additional Services which are not covered under default list of services as per details given below:

Sr. No.	List of Approved Services	Justification
1.	Freight insurance services & Travel insurance services	This request is for a GST exemption for travel insurance for Zycus employees who are travelling to customer locations. They are crucial for our business due to their expertise in Zycus Software products. Those are participation in key meetings, developing client relationships, and collaboration with experts to tailor systems to client needs. Given their importance, ensuring their well-being during travel is essential. Hence, the company provides travel insurance for each travel. The exemption would directly support our business.

निर्णय: निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निर्देश संख्या 94 दिनांक 08.05.2019 के संदर्भ में अनुरोधित सेवाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि ऐसी सेवाएं केवल एसईजेड इकाई द्वारा प्राप्त/उपभोग की गई सेवाओं के मूल्य की सीमा तक सीमित होंगी जबकि, यात्रा बीमा किसी यूनिट या डेवलपर के संबंध में अधिकारियों, कर्मचारियों, कर्मचारियों, मालिकों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत उपभोग के लिए है और एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 7 या 26 के प्रावधानों के अनुसार छूट, कमियां और रियायतें या किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होगा

Decision : After deliberation, the committee has rejected the requested services in terms of Instruction No 94 dated 08.05.2019 wherein is mentioned that such services would be limited to extent of such value of services availed of/ consumed by the SEZ entity only. Whereas, travel insurance is for personal consumption by officials, workmen, staff, owners or any other person in relation to a Unit or Developer and shall not be eligible for exemptions, drawbacks and concessions or any other benefit in accordance with the provisions of sections 7 or 26 of SEZ Act 2005.

कार्यसूची मद सं 8: उनके अधिकृत संचालन के लिए आवश्यक सेवाओं की अतिरिक्त सूची के लिए मेसर्स मीनल इन्फोज्वेल्स लिमिटेड का प्रस्ताव |

Agenda Item No. 8: Proposal of M/s. Minal Infojewels Limited for Additional List of Services required for their Authorized Operations.

इकाई ने सेवाओं की अतिरिक्त सूची के लिए अनुरोध किया जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सेवाओं की डिफ़ॉल्ट सूची के अंतर्गत शामिल नहीं हैं:

The unit requested for Additional List of Services which are not covered under default list of services as per details given below:

Sr. No.	List of Additional Services	Justification
1	Club or association services	Membership in various export promotion associations as well as Seepz association.
2	Business Auxiliary services	Commission and other intermediary services falls under Business Auxiliary services.

<p>निर्णय: - विचार-विमर्श के बाद, समिति ने केवल एक सेवा यानी [क्लब या एसोसिएशन सेवाएं] को मंजूरी दी, साथ ही समिति ने इकाई को अन्य सेवाओं यानी [व्यावसायिक सहायक सेवाएं] के लिए विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।</p>	<p>Decision:- After deliberation, the Committee approved only one of the services i.e. [Club or association services], also committee directed the unit to submit detailed justification for the other services i.e. [Business Auxiliary services].</p>
<p>कार्यसूची मद सं 9: मेसर्स एईएमएल सीपज़ लिमिटेड (सह-डेवलपर) के SEEPZ विशेष आर्थिक क्षेत्र, अंधेरी पूर्व, मुंबई 400096 में बिजली के लिए टैरिफ शुल्क में कमी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सामग्री की सूची का प्रस्ताव।</p>	<p>Agenda Item No. 9: Proposal for list of Material required for implementation of reduction of tariff charges for electricity at SEEPZ Special Economic Zone, Andheri East, Mumbai 400096 of M/s. AEML SEEPZ Limited (Co-Developer).</p>
<p>सह-डेवलपर ने SEEPZ विशेष आर्थिक क्षेत्र में बिजली के टैरिफ शुल्क में कमी के कार्यान्वयन के लिए 11408.44/- लाख रुपये की सामग्री की सूची के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया। चार्टर्ड इंजीनियर श्री विजय डी खामकर द्वारा दिनांक 26.12.2024 को प्रमाणित पत्र दिनांक 31.12.2024 द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी, SEEPZ-SEZ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से सामग्रियों की सूची का सत्यापन किया था।</p>	<p>The Co-Developer requested for the approval for list of material worth Rs. 11408.44/- Lakhs for implementation of reduction of tariff charges for electricity at SEEPZ Special Economic Zone. vide letter dated 31.12.2024 certified by the Chartered Engineer Mr. Vijay. D. Khamkar dated 26.12.2024.</p> <p>The Specified Officer, SEEPZ-SEZ vide letter dated 29.01.2024 had verified the list of materials.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने मेसर्स एईएमएल को विस्तृत डीपीआर प्रस्तुत करने और पूरे 5 वर्षों में व्यय का विवरण देने को कहा समिति ने एमईआरसी के आदेश के साथ भूमि की उपलब्धता और अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के औचित्य के बारे में भी पूछा लेकिन एम/एस एईएमएल ने समिति के सामने सभी विवरण प्रस्तुत नहीं किए, इसलिए प्रस्ताव differ कर दिया गया है और एम/एस एईएमएल को अनुमोदन के लिए इन सभी दस्तावेजों को शामिल करते हुए विस्तृत डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है</p>	<p>Decision :After deliberation , the committee asked M/S AEML to present detail DPR and spread out of expenditure in entire 5 years. The committee also asked the availability of land and as well as justification for additional infrastructure with order of MERC . But M/S AEML didn't present all details in front of committee hence proposal is differed and ask M/S AEML to submit detail DPR incorporating all this documents for approval.</p>
<p>कार्यसूची मद सं 10: संलग्न एफएसआर [15 संख्या] के अनुसार इकाइयों के प्रदर्शन की निगरानी।</p>	<p>Agenda Item No. 10: Monitoring performance of the Units as per the FSRs [15 nos] attached.</p>
<p>एफएसआर 49. मेसर्स नेयसा ज्वेलरी लिमिटेड-यूनिट I के 1 वर्ष की अवधि अर्थात 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी। इकाई ने 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 49. Monitoring Performance of M/s. Neysa Jewellery Ltd.-Unit I for the period of 1 year i.e. 2023-24. The unit has submitted the APR for the period 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and the same was found satisfactory.</p>

<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था। समिति ने यह भी निर्देश दिया कि</p> <ol style="list-style-type: none"> इकाई को 69,756.11/- रुपए का बकाया चुकाना होगा। इकाई को 3 महीने के भीतर विदेशी मुद्रा प्राप्ति का भुगतान करें और एक महीने के भीतर प्राधिकृत व्यापारी बैंक से एक्सटेंशन प्रस्तुत करें। 2023-24 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करें। 	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006. The Committee also directed</p> <ol style="list-style-type: none"> The unit to clear the outstanding dues of Rs.69,756.11/- The unit to clear the foreign exchange realization within 3 months time and submit extension from AD Bank within one month To initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2023-24.
<p>एफएसआर 50. मेसर्स क्विनॉक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड-यूनिट I के 1 वर्ष की अवधि अर्थात 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी। इकाई ने 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 50. Monitoring Performance of M/s. Quinnox Consultancy Services Ltd.-Unit I for the period of 1 year i.e. 2023-24. The unit has submitted the APR for the period 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and the same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p>
<p>एफएसआर 51. मेसर्स क्विनॉक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड-यूनिट III के 1 वर्ष की अवधि अर्थात 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी। इकाई ने 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 51. Monitoring Performance of M/s. Quinnox Consultancy Services Ltd.-Unit III for the period of 1 year i.e. 2023-24. The unit has submitted the APR for the period 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and the same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p>

<p>एफएसआर 52. मेसर्स सार्तो इलेक्ट्रो इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (ट्रेडिंग यूनिट) के 1 वर्ष की अवधि अर्थात 2022-23 के लिए प्रदर्शन की निगरानी। इकाई ने 2022-23 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 52. Monitoring Performance of M/s. Sarto Electro Equipments Pvt. Ltd (Trading Unit) for the period of 1 year i.e. 2022-23. The unit has submitted the APR for the period 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2022-23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and the same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2022-23 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था। समिति ने यह भी निर्देश दिया कि i. इकाई को 90,156/- रुपये का बकाया चुकाना होगा। ii. 2022-23 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करें।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2022-23 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006. The Committee also directed i. The unit to clear the outstanding dues of Rs.90,156/- ii. To initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2022-23</p>
<p>एफएसआर 53. मेसर्स ट्रियो ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के 2 वर्षों की अवधि अर्थात 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी। इकाई ने 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 53. Monitoring Performance of M/s. Trio Jewels Pvt. Ltd for the period of 2 years i.e. 2022-23 and 2023-24. The unit has submitted the APR for the period 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and the same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था। समिति ने इकाई को व्यावहारिक तरीके से प्रक्षेपण को संशोधित करने का भी निर्देश दिया। समिति ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने में 11 दिनों के विलंब पर सहमति व्यक्त की तथा उसे माफ कर दिया।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006. The Committee also directed the unit to revise the projection in pragmatic manner. The Committee agreed to condone the delay of 11 days in filing APR for F.Y. 2022-23.</p>
<p>एफएसआर 54. मेसर्स नवभारत कार्बन कंपनी (बॉम्बे) के 4 वर्षों की अवधि अर्थात 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी। इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 54. Monitoring Performance of M/s. Navbharat Carbon Co. (Bombay) for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24. The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and the same was found satisfactory.</p>

<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देश दिया कि 2021-22 और 2023-24 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करें।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed to initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2021-22 and 2023-24.</p>
<p>एफएसआर 55. मेसर्स पोर्टस्केप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीसी मोटर्स) के 2 वर्षों की अवधि अर्थात् 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 55. Monitoring Performance of M/s. Portescap India Pvt. Ltd (DC Motors) for the period of 2 years i.e. 2022-23 and 2023-24.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and the same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देश दिया कि</p> <ol style="list-style-type: none"> इकाई को 12,58,136.57 रुपये का बकाया चुकाना होगा। वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए वार्षिक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करें। 	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed</p> <ol style="list-style-type: none"> The unit to clear the outstanding dues of Rs.12,58,136.57/- To initiate action for issuance of Show Cause notice to the unit for delay in submission of APR for the period 2023-24.
<p>एफएसआर 56. मेसर्स वीरा लक्जरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 1 वर्ष की अवधि अर्थात् 2022-23 के लिए प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>इकाई ने 2022-23 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है। 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया।</p>	<p>FSR 56. Monitoring Performance of M/s. Veera Luxury India Pvt. Ltd. for the period of 1 year i.e. 2022-23.</p> <p>The unit has submitted the APR for the period 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2022-23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and the same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2022-23 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देश दिया कि इकाई को 6,26,333.20/- रुपए का बकाया चुकाना होगा।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2022-23 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed the unit to clear the outstanding dues of Rs.6,26,333.20/-</p>

<p>एफएसआर 57. मेसर्स स्टार ब्रिलियन प्रा. लिमिटेड-यूनिट-I के 3 वर्षों की अवधि अर्थात 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए प्रदर्शन की निगरानी□ इकाई ने 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है□ 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया□</p>	<p>FSR 57. Monitoring Performance of M/s. Star Brilliant Pvt. Ltd- Unit-I for the period of 3 years i.e. 2019-20, 2020-21 and 2021-22. The unit has submitted the APR for the period 2019-20, 2020-21 and 2021-22 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2019-20, 2020-21 and 2021-22 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and the same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था□ समिति ने यह भी निर्देश दिया कि इकाई को 15,52,421.07 रुपए का बकाया चुकाना होगा□</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2019-20, 2020-21 and 2021-22 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006. The Committee also directed the unit to clear the outstanding dues of Rs.15,52,421.07/-</p>
<p>एफएसआर 58. मेसर्स स्टार ब्रिलियन प्रा. लिमिटेड-यूनिट-II के 2 वर्षों की अवधि अर्थात 2020-21 और 2021-22 के लिए प्रदर्शन की निगरानी□ इकाई ने 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है□ 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया□</p>	<p>FSR 58. Monitoring Performance of M/s. Star Brilliant Pvt. Ltd- Unit-II for the period of 2 years i.e. 2020-21 and 2021-22. The unit has submitted the APR for the period 2020-21 and 2021-22 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21 and 2021-22 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and the same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था□ समिति ने यह भी निर्देश दिया कि इकाई को 53,365.32 रुपये का बकाया चुकाना होगा□</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21 and 2021-22 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006. The Committee also directed the unit to clear the outstanding dues of Rs.53,365.32/-</p>
<p>एफएसआर 59. मेसर्स ऑनमेंटेशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के 1 वर्ष की अवधि अर्थात 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी□ इकाई ने 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है□ 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया□</p>	<p>FSR 59. Monitoring Performance of M/s. Ornamentations (India) Pvt. Ltd. for the period of 1 year i.e. 2023-24. The unit has submitted the APR for the period 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and the same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था□</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p>

<p>एफएसआर 60. मेसर्स स्पार्क ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के 4 वर्षों की अवधि अर्थात 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी□ इकाई ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है□ 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया□</p>	<p>FSR 60. Monitoring Performance of M/s. Spark Jewelry Pvt. Ltd. for the period of 4 years i.e. 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24. The unit has submitted the APR for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and the same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था□ समिति ने यह भी निर्देश दिया कि इकाई को 3 महीने के भीतर विदेशी मुद्रा प्राप्ति का भुगतान करें और एक महीने के भीतर प्राधिकृत व्यापारी बैंक से एक्सटेंशन प्रस्तुत करें□</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006. The Committee also directed the unit to clear the pending foreign exchange realization within 3 months time and submit extension from AD Bank within one month.</p>
<p>एफएसआर 61. मेसर्स एलीसियन डिजाइन के 1 वर्ष की अवधि अर्थात 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी□ इकाई ने 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है□ 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया□</p>	<p>FSR 61. Monitoring Performance of M/s. Elysian Designs for the period of 1 year i.e. 2023-24. The unit has submitted the APR for the period 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and the same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था□ समिति ने यह भी निर्देश दिया कि इकाई को 8,66,420.21 रुपये का बकाया चुकाना होगा□</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006. The Committee also directed the unit to clear the outstanding dues of Rs.8,66,420.21/-</p>
<p>एफएसआर 62. मेसर्स जिनाई ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के 1 वर्ष की अवधि अर्थात 2023-24 के लिए प्रदर्शन की निगरानी□ इकाई ने 2023-24 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है□ 2023-24 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया□</p>	<p>FSR 62. Monitoring Performance of M/s. Jinai Jewels Pvt. Ltd. for the period of 1 year i.e. 2023-24. The unit has submitted the APR for the period 2023-24 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2023-24 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and the same was found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2023-24 की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम 2006 के नियम 54 के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था□</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2023-24 as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p>

एफएसआर 63. मेसर्स एनचांटेड एक्सपोर्ट्स एलएलपी के 4 वर्षों की अवधि अर्थात् **2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24** के लिए प्रदर्शन की निगरानी□
इकाई ने **2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24** की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत किया है□ **2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24** की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से प्राप्त किया गया और इसे संतोषजनक पाया गया□

FSR 63. Monitoring Performance of **M/s. Enchanted Exports LLP** for the period of **4 years** i.e. **2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.**
The unit has submitted the APR for the period **2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24** duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period **2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24** was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and the same was found satisfactory.

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने **2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24** की अवधि के लिए इकाई के प्रदर्शन पर गौर किया क्योंकि इकाई ने एसईजेड नियम **2006** के नियम **54** के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था□
समिति ने यह भी निर्देश दिया कि

Decision: After deliberation, the Committee **noted** the performance of the unit for the period **2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24** as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.

The Committee also directed

- i. इकाई को 5,01,871.57 रुपये का बकाया चुकाना होगा□
- ii. इकाई को व्यावहारिक तरीके से प्रक्षेपण को संशोधित करना होगा□
- iii. 2020-21 और 2022-23 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई आरंभ करें□

- i. The unit to clear the outstanding dues of Rs.5,01,871.57/-
- ii. The unit to revise the projection in pragmatic manner.
- iii. To initiate action for issuance of Show Cause notice for delay in submission of APR for the period 2020-21 and 2022-23.

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई□
The Meeting concluded with a vote of thanks to the chair.

ज्ञानेश्वर भा पाटील, आईएसएस
अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़